

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**मांग संख्या 58**

**विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष  | वास्तविक 2009-2010 |                |                 | बजट 2010-2011   |                |                 | संशोधित 2010-2011 |                |                 | बजट 2011-2012   |                |                 |                |
|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|  | आयोजना             | आयोजना-भिन्न   | जोड़            | आयोजना          | आयोजना-भिन्न   | जोड़            | आयोजना            | आयोजना-भिन्न   | जोड़            | आयोजना          | आयोजना-भिन्न   | जोड़            |                |
| राजस्व   | 21608.59           | 2607.48        | 24216.07        | 31036.00        | 2178.00        | 33214.00        | 34036.00          | 2306.00        | 36342.00        | 38957.00        | 2494.00        | 41451.00        |                |
| <b>पूँजी</b>   | <b>250.00</b>      | ...            | <b>250.00</b>   | ...             | ...            | ...             | ...               | ...            | ...             | ...             | ...            | ...             |                |
| <b>जोड़</b>  | <b>21858.59</b>    | <b>2607.48</b> | <b>24466.07</b> | <b>31036.00</b> | <b>2178.00</b> | <b>33214.00</b> | <b>34036.00</b>   | <b>2306.00</b> | <b>36342.00</b> | <b>38957.00</b> | <b>2494.00</b> | <b>41451.00</b> |                |
| 1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं                                | 2251               | ...            | 2.86            | 2.86            | ...            | 4.22            | 4.22              | ...            | 4.78            | 4.78            | ...            | 5.09            | 5.09           |
| <b>सामान्य शिक्षा</b>                                    |                    |                |                 |                 |                |                 |                   |                |                 |                 |                |                 |                |
| <b>प्राथमिक शिक्षा</b>                                   |                    |                |                 |                 |                |                 |                   |                |                 |                 |                |                 |                |
| 2. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण               | 2202               | 0.37           | ...             | 0.37            | 1.30           | ...             | 1.30              | 1.00           | ...             | 1.00            | 1.30           | ...             | 1.30           |
|  | 3601               | 312.50         | ...             | 312.50          | 428.70         | ...             | 428.70            | 310.00         | ...             | 310.00          | 428.70         | ...             | 428.70         |
|  | 3602               | 13.26          | ...             | 13.26           | 20.00          | ...             | 20.00             | 17.00          | ...             | 17.00           | 20.00          | ...             | 20.00          |
|  | <b>जोड़</b>        | <b>326.13</b>  | ...             | <b>326.13</b>   | <b>450.00</b>  | ...             | <b>450.00</b>     | <b>328.00</b>  | ...             | <b>328.00</b>   | <b>450.00</b>  | ...             | <b>450.00</b>  |
| 3. महिला समाख्या   | 2202               | 41.84          | ...             | 41.84           | 46.00          | ...             | 46.00             | 46.00          | ...             | 46.00           | 50.00          | ...             | 50.00          |
| 4. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली                          | 2202               | 6.30           | 6.10            | 12.40           | 12.82          | 5.70            | 18.52             | 12.82          | 6.30            | 19.12           | 12.60          | 6.45            | 19.05          |
| 5. स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम      | 2202               | 755.80         | ...             | 755.80          | 96.12          | ...             | 96.12             | 96.57          | ...             | 96.57           | 37.15          | ...             | 37.15          |
|  | 3601               | 570.23         | ...             | 570.23          | 2368.32        | ...             | 2368.32           | 1826.28        | ...             | 1826.28         | 2565.60        | ...             | 2565.60        |
|  | 3602               | 23.07          | ...             | 23.07           | 80.68          | ...             | 80.68             | 98.93          | ...             | 98.93           | 94.00          | ...             | 94.00          |
|  | <b>जोड़</b>        | <b>1349.10</b> | ...             | <b>1349.10</b>  | <b>2545.12</b> | ...             | <b>2545.12</b>    | <b>2021.78</b> | ...             | <b>2021.78</b>  | <b>2696.75</b> | ...             | <b>2696.75</b> |
| 6. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)                            | 2202               | 4409.96        | ...             | 4409.96         | 4994.08        | ...             | 4994.08           | 7769.08        | ...             | 7769.08         | 7096.15        | ...             | 7096.15        |
|  | 3601               | ...            | ...             | ...             | 0.01           | ...             | 0.01              | 0.01           | ...             | 0.01            | 0.01           | ...             | 0.01           |
|  | 3602               | ...            | ...             | ...             | 0.01           | ...             | 0.01              | 0.01           | ...             | 0.01            | 0.01           | ...             | 0.01           |
|  | <b>जोड़</b>        | <b>4409.96</b> | ...             | <b>4409.96</b>  | <b>4994.10</b> | ...             | <b>4994.10</b>    | <b>7769.10</b> | ...             | <b>7769.10</b>  | <b>7096.17</b> | ...             | <b>7096.17</b> |
| 7. राष्ट्रीय निवेश निधि                                  |                    |                |                 |                 |                |                 |                   |                |                 |                 |                |                 |                |
| 7.01 राष्ट्रीय निवेश निधि का आय और व्यय खाते में अंतरण   | 3475               | ...            | ...             | ...             | 125.88         | ...             | 125.88            | 102.22         | ...             | 102.22          | 131.25         | ...             | 131.25         |
| 7.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित योजना            |                    |                |                 |                 |                |                 |                   |                |                 |                 |                |                 |                |
| 7.02.01 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम | 2202               | ...            | ...             | ...             | 125.88         | ...             | 125.88            | 102.22         | ...             | 102.22          | 20.00          | ...             | 20.00          |
|  | 3601               | ...            | ...             | ...             | ...            | ...             | ...               | ...            | ...             | ...             | 111.25         | ...             | 111.25         |
|  | <b>जोड़</b>        | ...            | ...             | ...             | <b>125.88</b>  | ...             | <b>125.88</b>     | <b>102.22</b>  | ...             | <b>102.22</b>   | <b>131.25</b>  | ...             | <b>131.25</b>  |

<http://indiabudget.nic.in>

| मुख्य शीर्ष   | वास्तविक 2009-2010 |                 |             | बजट 2010-2011   |                 |             | संशोधित 2010-2011 |                 |             | बजट 2011-2012   |                 |             |                 |
|---|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|   | आयोजना             | आयोजना-भिन्न    | जोड़        | आयोजना          | आयोजना-भिन्न    | जोड़        | आयोजना            | आयोजना-भिन्न    | जोड़        | आयोजना          | आयोजना-भिन्न    | जोड़        |                 |
| 7.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि  | 2202               | ...             | ...         | -125.88         | ...             | -125.88     | -102.22           | ...             | -102.22     | -20.00          | ...             | -20.00      |                 |
|   | 3601               | ...             | ...         | ...             | ...             | ...         | ...               | ...             | ...         | -111.25         | ...             | -111.25     |                 |
|   | जोड़               | ...             | ...         | -125.88         | ...             | -125.88     | -102.22           | ...             | -102.22     | -131.25         | ...             | -131.25     |                 |
|   | निवल               | ...             | ...         | 125.88          | ...             | 125.88      | 102.22            | ...             | 102.22      | 131.25          | ...             | 131.25      |                 |
| 8. प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतरण (पीएसके)   | 2202               | 12257.67        | ...         | 12257.67        | 14433.00        | ...         | 14433.00          | 15805.00        | ...         | 15805.00        | 18506.33        | ...         | 18506.33        |
| 9. प्रारंभिक शिक्षा कोष को वित्त पोषण स्कीमें (पीएसके)  | 2202               | 675.09          | ...         | 675.09          | 100.00          | ...         | 100.00            | ...             | ...         | 5.00            | ...             | 5.00        |                 |
| 9.01 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम   | 2202               | 675.09          | ...         | 675.09          | 100.00          | ...         | 100.00            | ...             | ...         | 5.00            | ...             | 5.00        |                 |
|   | 3601               | 4907.54         | ...         | 4907.54         | 5725.00         | ...         | 5725.00           | 6372.00         | ...         | 6372.00         | 6509.00         | ...         | 6509.00         |
|   | 3602               | ...             | ...         | ...             | ...             | ...         | ...               | ...             | ...         | ...             | ...             | ...         |                 |
|   | जोड़               | 5582.63         | ...         | 5582.63         | 5825.00         | ...         | 5825.00           | 6372.00         | ...         | 6372.00         | 6514.00         | ...         | 6514.00         |
| 9.02 सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)  | 2202               | 8415.48         | ...         | 8415.48         | 8608.00         | ...         | 8608.00           | 9433.00         | ...         | 9433.00         | 11992.33        | ...         | 11992.33        |
|   | 3601               | ...             | ...         | ...             | ...             | ...         | ...               | ...             | ...         | ...             | ...             | ...         |                 |
|   | 3602               | ...             | ...         | ...             | ...             | ...         | ...               | ...             | ...         | ...             | ...             | ...         |                 |
|   | जोड़               | 8415.48         | ...         | 8415.48         | 8608.00         | ...         | 8608.00           | 9433.00         | ...         | 9433.00         | 11992.33        | ...         | 11992.33        |
| जोड़- प्रारंभिक शिक्षा कोष को वित्त पोषण स्कीमें (पीएसके)   | 13998.11           | ...             | 13998.11    | 14433.00        | ...             | 14433.00    | 15805.00          | ...             | 15805.00    | 18506.33        | ...             | 18506.33    |                 |
| 10. प्रारंभिक शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि (पीएसके)  | 2202               | -9090.57        | ...         | -9090.57        | -8708.00        | ...         | -8708.00          | -9433.00        | ...         | -9433.00        | -11997.33       | ...         | -11997.33       |
|   | 3601               | -4907.54        | ...         | -4907.54        | -5725.00        | ...         | -5725.00          | -6372.00        | ...         | -6372.00        | -6509.00        | ...         | -6509.00        |
|   | 3602               | ...             | ...         | ...             | ...             | ...         | ...               | ...             | ...         | ...             | ...             | ...         |                 |
|   | जोड़               | -13998.11       | ...         | -13998.11       | -14433.00       | ...         | -14433.00         | -15805.00       | ...         | -15805.00       | -18506.33       | ...         | -18506.33       |
| 11. मदरसों में गुणता मूलक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम)                              | 2202               | ...             | ...         | ...             | 2.50            | ...         | 2.50              | 2.50            | ...         | 2.50            | 7.50            | ...         | 7.50            |
|   | 3601               | 46.23           | ...         | 46.23           | 42.49           | ...         | 42.49             | 91.09           | ...         | 91.09           | 127.49          | ...         | 127.49          |
|   | 3602               | ...             | ...         | ...             | 0.01            | ...         | 0.01              | 0.01            | ...         | 0.01            | 0.01            | ...         | 0.01            |
|   | जोड़               | 46.23           | ...         | 46.23           | 45.00           | ...         | 45.00             | 93.60           | ...         | 93.60           | 135.00          | ...         | 135.00          |
| 12. अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसरचक्रना विकास की योजनाएं (आईएमआई)                                  | 2202               | ...             | ...         | ...             | 0.01            | ...         | 0.01              | 0.01            | ...         | 0.01            | 0.01            | ...         | 0.01            |
|   | 3601               | 4.48            | ...         | 4.48            | 9.65            | ...         | 9.65              | 23.15           | ...         | 23.15           | 44.98           | ...         | 44.98           |
|   | 3602               | ...             | ...         | ...             | 0.01            | ...         | 0.01              | 0.01            | ...         | 0.01            | 0.01            | ...         | 0.01            |
|   | जोड़               | 4.48            | ...         | 4.48            | 9.67            | ...         | 9.67              | 23.17           | ...         | 23.17           | 45.00           | ...         | 45.00           |
| <b>जोड़-प्राथमिक शिक्षा</b>   |                    | <b>18441.71</b> | <b>6.10</b> | <b>18447.81</b> | <b>22661.59</b> | <b>5.70</b> | <b>22667.29</b>   | <b>26201.69</b> | <b>6.30</b> | <b>26207.99</b> | <b>29123.10</b> | <b>6.45</b> | <b>29129.55</b> |
| <b>माध्यमिक शिक्षा</b>  |                    |                 |             |                 |                 |             |                   |                 |             |                 |                 |             |                 |
| 13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद   | 2202               | 25.00           | 97.41       | 122.41          | 36.00           | 107.30      | 143.30            | 36.00           | 119.17      | 155.17          | 22.50           | 145.00      | 167.50          |
| 14. केन्द्रीय विद्यालय संगठन<br><a href="http://indiabudget.nic.in">http://indiabudget.nic.in</a> | 2202               | 340.00          | 2085.44     | 2425.44         | 315.00          | 1652.00     | 1967.00           | 415.00          | 1764.79     | 2179.79         | 315.00          | 1885.00     | 2200.00         |

| मुख्य शीर्ष   | वास्तविक 2009-2010 |              |        | बजट 2010-2011 |              |        | संशोधित 2010-2011 |              |        | बजट 2011-2012 |              |        |         |
|---|--------------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|-------------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------|
|   | आयोजना             | आयोजना-भिन्न | जोड़   | आयोजना        | आयोजना-भिन्न | जोड़   | आयोजना            | आयोजना-भिन्न | जोड़   | आयोजना        | आयोजना-भिन्न | जोड़   |         |
| 15. नवोदय विद्यालय समिति  | 2202               | 1300.00      | 376.20 | 1676.20       | 1246.50      | 370.40 | 1616.90           | 1146.50      | 370.40 | 1516.90       | 1080.00      | 408.80 | 1488.80 |
| 16. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान<br>(आरएमएसए)   | 2202               | 489.28       | ...    | 489.28        | 1527.52      | ...    | 1527.52           | 1357.02      | ...    | 1357.02       | 2179.09      | ...    | 2179.09 |
|   | 3601               | 59.48        | ...    | 59.48         | 0.01         | ...    | 0.01              | 0.01         | ...    | 0.01          | 0.01         | ...    | 0.01    |
|   | 3602               | 0.32         | ...    | 0.32          | 0.01         | ...    | 0.01              | 0.01         | ...    | 0.01          | 0.01         | ...    | 0.01    |
|   | जोड़               | 549.08       | ...    | 549.08        | 1527.54      | ...    | 1527.54           | 1357.04      | ...    | 1357.04       | 2179.11      | ...    | 2179.11 |
| 17. उत्कृष्टता के बेंच मार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर<br>6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना संबंधी<br>योजना | 2202               | 251.71       | ...    | 251.71        | 382.48       | ...    | 382.48            | 441.48       | ...    | 441.48        | 1079.98      | ...    | 1079.98 |
|   | 3601               | ...          | ...    | ...           | 0.01         | ...    | 0.01              | 0.01         | ...    | 0.01          | 0.01         | ...    | 0.01    |
|   | 3602               | ...          | ...    | ...           | 0.01         | ...    | 0.01              | 0.01         | ...    | 0.01          | 0.01         | ...    | 0.01    |
|   | जोड़               | 251.71       | ...    | 251.71        | 382.50       | ...    | 382.50            | 441.50       | ...    | 441.50        | 1080.00      | ...    | 1080.00 |
| 18. विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी  | 2202               | 3.50         | ...    | 3.50          | 39.15        | ...    | 39.15             | 39.15        | ...    | 39.15         | 48.95        | ...    | 48.95   |
|   | 3601               | 181.10       | ...    | 181.10        | 316.85       | ...    | 316.85            | 316.85       | ...    | 316.85        | 396.05       | ...    | 396.05  |
|   | 3602               | ...          | ...    | ...           | 4.00         | ...    | 4.00              | 4.00         | ...    | 4.00          | 5.00         | ...    | 5.00    |
|   | जोड़               | 184.60       | ...    | 184.60        | 360.00       | ...    | 360.00            | 360.00       | ...    | 360.00        | 450.00       | ...    | 450.00  |
| 19. माध्यमिक विद्यालय में विकलांगों के लिए<br>समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)                                  | 2202               | 0.18         | ...    | 0.18          | 3.50         | ...    | 3.50              | 1.50         | ...    | 1.50          | 5.00         | ...    | 5.00    |
|   | 3601               | 52.86        | ...    | 52.86         | 58.00        | ...    | 58.00             | 82.50        | ...    | 82.50         | 82.85        | ...    | 82.85   |
|   | 3602               | 2.09         | ...    | 2.09          | 1.50         | ...    | 1.50              | 1.50         | ...    | 1.50          | 2.15         | ...    | 2.15    |
|   | जोड़               | 55.13        | ...    | 55.13         | 63.00        | ...    | 63.00             | 85.50        | ...    | 85.50         | 90.00        | ...    | 90.00   |
| 20. राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान  | 2202               | 15.00        | ...    | 15.00         | 15.00        | ...    | 15.00             | 15.00        | ...    | 15.00         | 15.00        | ...    | 15.00   |
| 21. सुलभता और साम्यता   | 2202               | 0.51         | ...    | 0.51          | 0.45         | ...    | 0.45              | 0.57         | ...    | 0.57          | 0.09         | ...    | 0.09    |
|   | 3601               | ...          | ...    | ...           | ...          | ...    | ...               | ...          | ...    | ...           | ...          | ...    | ...     |
|   | 3602               | ...          | ...    | ...           | ...          | ...    | ...               | ...          | ...    | ...           | ...          | ...    | ...     |
|   | जोड़               | 0.51         | ...    | 0.51          | 0.45         | ...    | 0.45              | 0.57         | ...    | 0.57          | 0.09         | ...    | 0.09    |
| 22. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन  | 2202               | 5.84         | 34.33  | 40.17         | 8.00         | 31.82  | 39.82             | 8.00         | 35.08  | 43.08         | 8.00         | 37.00  | 45.00   |
| 23. शिक्षा का व्यावसायीकरण  | 2202               | ...          | ...    | ...           | 4.70         | ...    | 4.70              | 4.70         | ...    | 4.70          | 4.70         | ...    | 4.70    |
|   | 3601               | ...          | ...    | ...           | 17.30        | ...    | 17.30             | 17.30        | ...    | 17.30         | 17.30        | ...    | 17.30   |
|   | 3602               | ...          | ...    | ...           | 0.50         | ...    | 0.50              | 0.50         | ...    | 0.50          | 0.50         | ...    | 0.50    |
|   | जोड़               | ...          | ...    | ...           | 22.50        | ...    | 22.50             | 22.50        | ...    | 22.50         | 22.50        | ...    | 22.50   |
| 24. माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को<br>प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम (सक्सेस)                      | 2202               | 0.30         | ...    | 0.30          | 1.00         | ...    | 1.00              | 1.00         | ...    | 1.00          | 44.98        | ...    | 44.98   |
|   | 3601               | 45.64        | ...    | 45.64         | 42.50        | ...    | 42.50             | 69.50        | ...    | 69.50         | 0.01         | ...    | 0.01    |
|   | 3602               | ...          | ...    | ...           | 1.50         | ...    | 1.50              | 1.50         | ...    | 1.50          | 0.01         | ...    | 0.01    |

| मुख्य शीर्ष   | वास्तविक 2009-2010 |                 |                | बजट 2010-2011   |                 |                | संशोधित 2010-2011 |                 |                | बजट 2011-2012   |                 |                |                 |
|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|   | आयोजना             | आयोजना-भिन्न    | जोड़           | आयोजना          | आयोजना-भिन्न    | जोड़           | आयोजना            | आयोजना-भिन्न    | जोड़           | आयोजना          | आयोजना-भिन्न    | जोड़           |                 |
| 25. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास निर्माण और संचालन की योजना | जोड़               | 45.94           | ...            | 45.94           | 45.00           | ...            | 45.00             | 72.00           | ...            | 72.00           | 45.00           | ...            | 45.00           |
|   | 2202               | ...             | ...            | ...             | 1.00            | ...            | 1.00              | 0.88            | ...            | 0.88            | 2.50            | ...            | 2.50            |
|   | 3601               | 65.15           | ...            | 65.15           | 88.99           | ...            | 88.99             | 57.91           | ...            | 57.91           | 222.49          | ...            | 222.49          |
|   | 3602               | ...             | ...            | ...             | 0.01            | ...            | 0.01              | 0.01            | ...            | 0.01            | 0.01            | ...            | 0.01            |
|   | जोड़               | 65.15           | ...            | 65.15           | 90.00           | ...            | 90.00             | 58.80           | ...            | 58.80           | 225.00          | ...            | 225.00          |
| 26. भाषा अध्यापकों की नियुक्ति  | 2202               | ...             | ...            | ...             | 0.01            | ...            | 0.01              | 0.02            | ...            | 0.02            | 0.02            | ...            | 0.02            |
|   | 3601               | 9.96            | ...            | 9.96            | 13.48           | ...            | 13.48             | 13.46           | ...            | 13.46           | 4.46            | ...            | 4.46            |
|   | 3602               | ...             | ...            | ...             | 0.01            | ...            | 0.01              | 0.02            | ...            | 0.02            | 0.02            | ...            | 0.02            |
|   | जोड़               | 9.96            | ...            | 9.96            | 13.50           | ...            | 13.50             | 13.50           | ...            | 13.50           | 4.50            | ...            | 4.50            |
| 27. राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना   | 2202               | 0.70            | ...            | 0.70            | 81.45           | ...            | 81.45             | 54.45           | ...            | 54.45           | 54.00           | ...            | 54.00           |
|   | 6202               | 250.00          | ...            | 250.00          | ...             | ...            | ...               | ...             | ...            | ...             | ...             | ...            | ...             |
|   | जोड़               | 250.70          | ...            | 250.70          | 81.45           | ...            | 81.45             | 54.45           | ...            | 54.45           | 54.00           | ...            | 54.00           |
| 28. अन्य कार्यक्रम  | 2202               | 0.50            | 1.69           | 2.19            | 1.00            | 3.08           | 4.08              | 1.00            | 2.00           | 3.00            | 1.00            | 3.00           | 4.00            |
| <b>जोड़-माध्यमिक शिक्षा</b>   |                    | <b>3099.12</b>  | <b>2595.07</b> | <b>5694.19</b>  | <b>4207.44</b>  | <b>2164.60</b> | <b>6372.04</b>    | <b>4087.36</b>  | <b>2291.44</b> | <b>6378.80</b>  | <b>5591.70</b>  | <b>2478.80</b> | <b>8070.50</b>  |
| <b>प्रौढ शिक्षा</b>   |                    |                 |                |                 |                 |                |                   |                 |                |                 |                 |                |                 |
| 29. प्रौढ शिक्षा और कौशल विकास योजना  | 2202               | 333.90          | ...            | 333.90          | 1050.10         | ...            | 1050.10           | 349.49          | ...            | 349.49          | 439.45          | ...            | 439.45          |
| 30. प्रौढ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता              | 2202               | 82.36           | ...            | 82.36           | 108.90          | ...            | 108.90            | 90.00           | ...            | 90.00           | 90.00           | ...            | 90.00           |
| 31. प्रौढ शिक्षा निदेशालय   | 2202               | 8.77            | 2.95           | 11.72           | 9.00            | 2.80           | 11.80             | 8.50            | 2.80           | 11.30           | 8.55            | 2.95           | 11.50           |
| 32. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण   | 2202               | 1.42            | ...            | 1.42            | 2.00            | 0.07           | 2.07              | 2.00            | 0.07           | 2.07            | 2.00            | 0.07           | 2.07            |
|   | 2251               | ...             | ...            | ...             | ...             | ...            | ...               | ...             | ...            | ...             | ...             | ...            | ...             |
|   | जोड़               | 1.42            | ...            | 1.42            | 2.00            | 0.07           | 2.07              | 2.00            | 0.07           | 2.07            | 2.00            | 0.07           | 2.07            |
| 33. अन्य कार्यक्रम  | 2202               | ...             | 0.50           | 0.50            | ...             | 0.61           | 0.61              | ...             | 0.61           | 0.61            | ...             | 0.64           | 0.64            |
| <b>जोड़-प्रौढ शिक्षा</b>  |                    | <b>426.45</b>   | <b>3.45</b>    | <b>429.90</b>   | <b>1170.00</b>  | <b>3.48</b>    | <b>1173.48</b>    | <b>449.99</b>   | <b>3.48</b>    | <b>453.47</b>   | <b>540.00</b>   | <b>3.66</b>    | <b>543.66</b>   |
| <b>जोड़-सामान्य शिक्षा</b>  |                    | <b>21967.28</b> | <b>2604.62</b> | <b>24571.90</b> | <b>28039.03</b> | <b>2173.78</b> | <b>30212.81</b>   | <b>30739.04</b> | <b>2301.22</b> | <b>33040.26</b> | <b>35254.80</b> | <b>2488.91</b> | <b>37743.71</b> |
| 34. पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभार्थि परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान                             |                    |                 |                |                 |                 |                |                   |                 |                |                 |                 |                |                 |
| 34.01 अध्यापक शिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण  | 2552               | ...             | ...            | ...             | 50.00           | ...            | 50.00             | 47.00           | ...            | 47.00           | 50.00           | ...            | 50.00           |
| 34.02 राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली  | 2552               | ...             | ...            | ...             | 1.43            | ...            | 1.43              | 1.43            | ...            | 1.43            | 1.40            | ...            | 1.40            |
| 34.03 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम  | 2552               | ...             | ...            | ...             | 944.00          | ...            | 944.00            | 944.00          | ...            | 944.00          | 1038.00         | ...            | 1038.00         |
| 34.04 सर्वशिक्षा अभियान   | 2552               | ...             | ...            | ...             | 1397.90         | ...            | 1397.90           | 1797.90         | ...            | 1797.90         | 1911.50         | ...            | 1911.50         |

| मुख्य शीर्ष   | वास्तविक 2009-2010 |              |      | बजट 2010-2011 |              |         | संशोधित 2010-2011 |              |         | बजट 2011-2012 |              |         |
|---|--------------------|--------------|------|---------------|--------------|---------|-------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|
|   | आयोजना             | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना        | आयोजना-भिन्न | जोड़    | आयोजना            | आयोजना-भिन्न | जोड़    | आयोजना        | आयोजना-भिन्न | जोड़    |
| 34.05 मदरसों में गुणता मूलक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम)  | 2552               | ...          | ...  | 5.00          | ...          | 5.00    | 10.40             | ...          | 10.40   | 15.00         | ...          | 15.00   |
| 34.06 अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजनाएं (आईडीएमआई)  | 2552               | ...          | ...  | 1.08          | ...          | 1.08    | 2.58              | ...          | 2.58    | 5.00          | ...          | 5.00    |
| 34.07 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद   | 2552               | ...          | ...  | 4.00          | ...          | 4.00    | 4.00              | ...          | 4.00    | 2.50          | ...          | 2.50    |
| 34.08 केन्द्रीय विद्यालय संगठन  | 2552               | ...          | ...  | 35.00         | ...          | 35.00   | 35.00             | ...          | 35.00   | 35.00         | ...          | 35.00   |
| 34.09 नवोदय विद्यालय समिति  | 2552               | ...          | ...  | 138.50        | ...          | 138.50  | 138.50            | ...          | 138.50  | 120.00        | ...          | 120.00  |
| 34.10 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान  | 2552               | ...          | ...  | 172.46        | ...          | 172.46  | 142.96            | ...          | 142.96  | 244.79        | ...          | 244.79  |
| 34.11 उत्कृष्टता के बैंच मार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना संबंधी योजना             | 2552               | ...          | ...  | 42.50         | ...          | 42.50   | 47.50             | ...          | 47.50   | 120.00        | ...          | 120.00  |
| 34.12 विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी  | 2552               | ...          | ...  | 40.00         | ...          | 40.00   | 40.00             | ...          | 40.00   | 50.00         | ...          | 50.00   |
| 34.13 माध्यमिक विद्यालय में विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आईईडीएसएस)                                       | 2552               | ...          | ...  | 7.00          | ...          | 7.00    | 9.50              | ...          | 9.50    | 10.00         | ...          | 10.00   |
| 34.14 सुलभता और साम्यता   | 2552               | ...          | ...  | 0.05          | ...          | 0.05    | 0.05              | ...          | 0.05    | 0.01          | ...          | 0.01    |
| 34.15 शिक्षा का व्यावसायीकरण  | 2552               | ...          | ...  | 2.50          | ...          | 2.50    | 2.50              | ...          | 2.50    | 2.50          | ...          | 2.50    |
| 34.16 माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम  | 2552               | ...          | ...  | 5.00          | ...          | 5.00    | 8.00              | ...          | 8.00    | 5.00          | ...          | 5.00    |
| 34.17 माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास निर्माण और संचालन की योजना | 2552               | ...          | ...  | 10.00         | ...          | 10.00   | 8.08              | ...          | 8.08    | 25.00         | ...          | 25.00   |
| 34.18 भाषा अध्यापकों की नियुक्ति  | 2552               | ...          | ...  | 1.50          | ...          | 1.50    | 1.50              | ...          | 1.50    | 0.50          | ...          | 0.50    |
| 34.19 राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना   | 2552               | ...          | ...  | 9.05          | ...          | 9.05    | 6.05              | ...          | 6.05    | 6.00          | ...          | 6.00    |
| 34.20 प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना   | 2552               | ...          | ...  | 116.90        | ...          | 116.90  | 39.01             | ...          | 39.01   | 49.05         | ...          | 49.05   |
| 34.21 प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता             | 2552               | ...          | ...  | 12.10         | ...          | 12.10   | 10.00             | ...          | 10.00   | 10.00         | ...          | 10.00   |
| 34.22 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय  | 2552               | ...          | ...  | 1.00          | ...          | 1.00    | 1.00              | ...          | 1.00    | 0.95          | ...          | 0.95    |
| जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान                              |                    | ...          | ...  | 2996.97       | ...          | 2996.97 | 3296.96           | ...          | 3296.96 | 3702.20       | ...          | 3702.20 |
| 35. वास्तविक बजटियां<br><a href="http://indiabudget.nic.in">http://indiabudget.nic.in</a>                         | 2202               | -81.09       | ...  | -81.09        | ...          | ...     | ...               | ...          | ...     | ...           | ...          | ...     |

| मुख्य शीर्ष             | वास्तविक 2009-2010 |                 |                 | बजट 2010-2011   |                 |                 | संशोधित 2010-2011 |                 |                 | बजट 2011-2012   |                 |                 |                 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         | आयोजना             | आयोजना-भिन्न    | जोड़            | आयोजना          | आयोजना-भिन्न    | जोड़            | आयोजना            | आयोजना-भिन्न    | जोड़            | आयोजना          | आयोजना-भिन्न    | जोड़            |                 |
| 3601                    | -27.60             | ...             | -27.60          | ...             | ...             | ...             | ...               | ...             | ...             | ...             | ...             | ...             |                 |
| जोड़                    | -108.69            | ...             | -108.69         | ...             | ...             | ...             | ...               | ...             | ...             | ...             | ...             | ...             |                 |
| <b>कुल जोड़</b>         | <b>21858.59</b>    | <b>2607.48</b>  | <b>24466.07</b> | <b>31036.00</b> | <b>2178.00</b>  | <b>33214.00</b> | <b>34036.00</b>   | <b>2306.00</b>  | <b>36342.00</b> | <b>38957.00</b> | <b>2494.00</b>  | <b>41451.00</b> |                 |
| विकास शीर्ष             | बजट सहायता         | आं. व. वा. सं.  | जोड़            | बजट सहायता      | आं. व. वा. सं.  | जोड़            | बजट सहायता        | आं. व. वा. सं.  | जोड़            | बजट सहायता      | आं. व. वा. सं.  | जोड़            |                 |
| <b>ग. योजना परिव्यय</b> |                    |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. सामान्य शिक्षा       | 22202              | 21858.59        | ...             | 21858.59        | 28039.03        | ...             | 28039.03          | 30739.04        | ...             | 30739.04        | 35254.80        | ...             | 35254.80        |
| 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र   | 22552              | ...             | ...             | ...             | 2996.97         | ...             | 2996.97           | 3296.96         | ...             | 3296.96         | 3702.20         | ...             | 3702.20         |
| <b>जोड़</b>             |                    | <b>21858.59</b> | ...             | <b>21858.59</b> | <b>31036.00</b> | ...             | <b>31036.00</b>   | <b>34036.00</b> | ...             | <b>34036.00</b> | <b>38957.00</b> | ...             | <b>38957.00</b> |

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान।

2. **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण:** प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए स्वस्थ सांस्थानिक अवसंरचना का सृजन करने तथा प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए शैक्षिक संसाधन सहायता का प्रावधान करने के लिए शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन और पुनःसंरचना की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना १९८७ में शुरू की गई थी। सिविल कार्यों, उपकरणों की खरीद, वेतन एवं भत्तों, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों इत्यादि के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को इस समय संशोधित किया जा रहा है।

3. **महिला समाख्या कार्यक्रम:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ में अंतर्निहित उद्देश्यों के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारिता के लिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए महिला समाख्या योजना शुरू की गई थी। यह योजना इस समय ग्यारह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित की जा रही है।

4. **राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली:** भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा १९५६ में स्थापित राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली एक स्वायत्त निकाय है जिसका संपूर्ण वित्त-पोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बाल भवन ५ से १६ वर्ष की आयु वर्ग के, विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने की दिशा में योगदान देता रहा है।

5. **स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम:** नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि करने की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ में देश के २४०८ ब्लॉकों में १५ अगस्त, १९९५ को आरंभ किया गया था। क्रमशः इसे प्राथमिक स्तर के बच्चों को शामिल

<http://indiabudget.nic.in>

करने के लिए देश के सभी ब्लॉकों में विस्तारित किया गया। अक्तूबर, २००७ में इस योजना को पुनः संशोधित करके इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े ३४७९ ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI से VIII) के बच्चों को शामिल किया गया। वर्ष २००८-०९ से इस कार्यक्रम के तहत देश भर के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा I से VIII) तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया है।

6. **सर्व शिक्षा अभियान:** भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान देश में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भागीदारी से कार्यान्वित होने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान देश के सभी जिलों में प्रारंभिक शिक्षा सुलभता, प्रतिधारण अवरोध और गुणवत्ता सुधार को सुनिश्चित करता है। १०वीं योजना के दौरान केन्द्र और राज्यों के मध्य व्यय की भागीदारी ७५:२५ के आधार पर थी। ग्यारहवीं योजनावधि के पहले दो वर्षों के लिए ६५:३५, तीसरे वर्ष के लिए ६०:४०, चौथे वर्ष के लिए ५५:४५ और तत्पश्चात् ५०:५० का निधीयन पैटर्न होगा। ८ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत निधीयन पैटर्न ९०:१० का है जिसमें केन्द्रीय हिस्सेदारी सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट १०% निधियों में से होगी। तथापि १.४.२०१० से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के परिणामस्वरूप २०१०-११ से २०१४-१५ की अवधि के लिए शिक्षा का अधिकार-सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के संबंध में निधीयन पैटर्न को संशोधित किया गया है तथा पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हिस्सेदारी ६५:३५ में होगी। ८ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच ९०:१० की मौजूदा निधि हिस्सेदारी जारी रहेगी।

8. **प्रारंभिक शिक्षा कोष:** वित्त (संख्या २) अधिनियम, २००४ के माध्यम से सभी प्रमुख केन्द्रीय करों पर २ प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर के लागू होने से शिक्षा उपकर की प्राप्तियों के लिए अव्ययगत निधियों हेतु १४/११/२००५ को प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना की गई। प्रारंभिक शिक्षा कोष की कार्य प्रणाली/कार्य पद्धति पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार कार्यालय की सहमति है। प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना के संबंध में दिनांक ३० अगस्त, २००६ की अधिसूचना/संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

11. **मदरसा में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं:** औपचारिक शिक्षा विषय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम बच्चों को योग्य बनाने हेतु इस योजना के माध्यम से मदरसों में गुणवत्ता सुधार किया जाता है।

12. **अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास की योजना:** दिसम्बर २००८ से क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास योजना के रूप में संशोधित किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्कूल अवसंरचना के संवर्द्धन और सुदृढीकरण द्वारा यह योजना अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करेगी।

13. **राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद:** राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष १९६१ में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इस परिषद का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को उनकी नीतियों को बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने तथा स्कूल शिक्षा में गुणवत्तापरक सुधार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना को अंतिम रूप देने सहित मुख्य कार्यक्रमों के लिए सलाह देना और सहायता प्रदान करना था। वर्ष २००६-०७ से स्कूलों में गुणवत्ता सुधार योजना जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, स्कूलों में पर्यावरणीय पुनर्धर्या कार्यक्रम, स्कूलों में योग का आरंभ और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड जैसे घटक शामिल हैं, को कार्यान्वयन हेतु एनसीईआरटी को स्थानांतरित कर दिया गया है।

14. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन:** केन्द्रीय विद्यालय संगठन का गठन वर्ष १९६५ में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण और प्रबंधन हेतु एक पंजीकृत निकाय के रूप में सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठन के तौर पर किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य स्थानांतरणीय केन्द्र सरकार कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

15. **नवोदय विद्यालय समिति:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति- १९८६ (१९९२ में यथा संशोधित) के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु वर्ष १९८६ में भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय योजना आरंभ की गई थी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, १८६० के अंतर्गत वर्ष १९८६ में स्थापित स्वायत्त संगठन, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाए जाते हैं। वर्तमान में ५६१ नवोदय विद्यालय कार्यशील हैं।

16. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान:** सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उच्च प्राथमिक स्तर पूरा करने वाले छात्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, अतः यह आवश्यक पाया गया है कि माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जाए। तदनुसार मार्च, २००९ में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की एक नई योजना आरंभ की गई। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष २००९-१० से आरंभ हो गया है।

17. **उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर ६००० मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना:** १५ अगस्त, २००७ को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रति ब्लॉक एक स्कूल की दर से ६००० नए उच्च गुणवत्तापरक स्कूलों की स्थापना की घोषणा की थी। राज्य सरकारों के प्रबंधन के अधीन शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में २५०० स्कूल स्थापित करने हेतु कार्यक्रम का प्रथम चरण नवम्बर, २००८ में आरंभ किया गया था। स्कीम का कार्यान्वयन वर्ष २००९-१० में आरंभ किया गया।

<http://indiabudget.nic.in>

18. **स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी:** वर्ष २००६ में स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन तथा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की विद्यमान स्कीमों का समावेशन करके स्कूलों में सूचना और जनसंचार प्रौद्योगिकी नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की थी ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विविधता को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष बल के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर के माध्यम से अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा सके। आईसीटी स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता ७५% है। निधियों का शेष २५%, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा या राज्य सरकार योगदान के अतिरिक्त या विकल्प के रूप में एमपीएलएडी स्कीम से पूरा किया जाता है। विशेष श्रेणी गत राज्यों नामतः पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश को ९०:१० के अनुपात में सहायता दी जाती है। स्कीम को आर्थिक कार्यकलाप संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन से दिनांक 9 जनवरी, 2010 को संशोधित किया गया है।

19. **माध्यमिक स्कूलों में शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा:** कक्षा IX-XII तक शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा के सहायताार्थ माध्यमिक स्तर पर अप्रैल, २००९ से शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की एक नई स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम में शामिल सभी मदों के लिए सहायता १०० प्रतिशत आधार पर दी जाएगी। राज्य सरकारों को प्रत्येक बच्चे के लिए ६०० रूपये प्रति वर्ष तक प्रदान करना भी आवश्यक है।

20. **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान:** पूर्व में राष्ट्रीय मुक्त स्कूल के नाम से जाना जाने वाले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की स्थापना वर्ष १९८९ में की गई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और पूर्व डिग्री स्तर पर इसके शैक्षणिक, जीवन संवर्द्धन और व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रमों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना है। यह स्कूल स्तर पर मुक्त अध्ययन प्रणाली के माध्यम से औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में शिक्षा प्रदान करता है।

22. **केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन:** केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में वर्ष १९६१ में की गई थी। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में फैले तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन के ७९ स्कूल हैं।

23. **शिक्षा का व्यावसायीकरण:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ में यथाकल्पित माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायोन्मुखीकरण में शैक्षिक अवसरों की विविधता का प्रावधान है ताकि व्यक्तिगत नियोज्यता में वृद्धि की जा सके तथा उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को एक विकल्प प्रदान करने के लिए कुशल जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच अंतर को कम किया जा सके। स्कीम के अंतर्गत कृषि, व्यापार और वाणिज्य इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि विषयों में +२ स्तर पर रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। स्कीम संशोधनाधीन है।

24. **माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिका हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन स्कीम:** वर्ष २००६-०७ का बजट प्रस्तुत करने समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक स्कीम आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल-बाह्य दर में कमी लाने के लिए एक समर्थकारी वातावरण तैयार करना और माध्यमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से संबद्ध बालिकाओं के नामांकन का संवर्द्धन करना तथा उन्हें बनाए रखना सुनिश्चित करना है।

25. **माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण तथा उन्हें चलाने के लिए योजना:** माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास सुविधाओं के सृजन के लिए एक नई योजना आरंभ की गयी

है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक (लगभग ३५०० ब्लॉक) में एक बालिका छात्रावास स्थापित किया जाना है। ये छात्रावास जहां व्यवहार्य हों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्थापित होंगे और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें आवासीय माध्यमिक स्कूलों में प्रोन्नत कर दिया जाएगा।

26. **भाषा अध्यापकों की नियुक्ति:** गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों, शैक्षिक रूप से पिछड़े अत्यधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले ब्लॉकों अथवा जिलों में उर्दू अध्यापकों तथा हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मांग करने वाले स्कूलों में तीसरी भाषा पढ़ाने वाले, आधुनिक भारतीय भाषा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

27. **राष्ट्रीय साधन सह प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना:** राष्ट्रीय साधन सह प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना २००८-०९ में आरंभ की गयी थी जिसमें प्रत्येक वर्ष कक्षा IX-XII में अध्ययन हेतु १००००० छात्रों को ६०००/- रूपए प्रति वर्ष (५००/- रूपए प्रति माह) की छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्तियां देना है ताकि कक्षा आठ में उनकी स्कूल बाह्य दर में कमी लाई जा सके और माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा १२ तक में उन्हें बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

28. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें (क) उलनवातर में संयुक्त भारत-मंगोलिया स्कूल की सहायता हेतु और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्रावधान शामिल है।

29. **प्रौढ शिक्षा तथा कौशल विकास योजना:** साक्षरता अभियान और आपरेशन रेस्टोरेशन तथा नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा की मौजूदा योजनाओं को प्रौढ शिक्षा एवं कौशल विकास की एकल योजना में विलयित कर दिया गया है और अब इसे साक्षर भारत कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।

30. **प्रौढ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता:** इस नई योजना में प्रौढ शिक्षा तथा जन शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को सहायता की दो मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को १५-३५ आयु वर्ग में प्रौढ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित राज्य संसाधन केन्द्र भी इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करते हैं।

31. **प्रौढ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ शिक्षा निदेशालय प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा है। इस निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों को शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता देने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गयी थी। प्रौढ शिक्षा निदेशालय का वित्तपोषण पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

32. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण:** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्वायत्त विंग के रूप में १९८८ में की गयी थी।

<http://indiabudget.nic.in>

33. **अन्य कार्यक्रम:** प्रौढ शिक्षा केन्द्र, दिल्ली के लिए प्रावधान।